न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 122/2020 – निगरानी

1. नूर बक्ष आत्मज अहमद बक्ष शेख निवासी सुखाड़िया नगर, शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजेन्द्र कुमार आत्मज मोहन लाल शर्मा निवासी सुखाड़िया नगर, शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. ग्राम पंचायत शक्करगढ़, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत, शक्करगढ़, तहसील जहाजपुर
2. पंचायत समिति जहाजपुर जरिये बी० डी० ओ०, पंचायत समिति जहाजपुर तहसील जहाजपुर
3. विरेन्द्र सिंह आत्मज सज्जन सिंह खेराड़ा निवासी – सी/ओ. हीरा ट्रेडिंग कम्पनी, भामाशाह मण्डी, कोटा,तहसील कोटा जिला कोटा

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधि0, विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत, शक्करगढ पत्रावली दायर सं.10/62 दायर दिनांक 15–08–1962 सुखाड़िया नगर, भूखण्ड सं0–02, बहक विरेन्द्र सिंह खेराड़ा दिनांक–27–06–63.

उपस्थित –

1. श्री जगदीश चन्द्र दाधीच अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 03 ओर से

निर्णय

दिनांक 21.02.2023

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकारगण ग्राम शक्करगढ़ के अन्दर हल्का आबादी सुखाड़िया नगर, के स्थायी निवासी हैं तथा निगराकारगण का निवास उक्त भुखण्ड सं0 02, स्थित वाली आवासीय कॉलोनी सुखाडिया नगर में ही स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधि0 के तहत विहित प्रावधानों की पालना नहीं कर आलोच्य आदेश पारित फरमाया गया। ग्राम पंचायत की भूमि प्लॉट प्राप्ति हेतू प्रार्थी का आवेदन प्राप्त होने पर मिसल कायम की जा कर ग्राम पंचायत के मेम्बरान वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया जाना तथा उसके बाद उक्त कमेटी द्वारा मौका देखा जा कर नजरी नक्शा मय मौका रिपोर्ट पडौसान सहित तैयार की जाती हैं। उसके बाद निलामी हेतू सार्वजनिक तौर सूचना का

गये भूखण्ड विकय किए गए। चूंकि यह आवासीय सुखाडिया नगर कॉलोनी एक प्लान के तहत निर्मित की गई थी, इस कारण कमेटी के गठन, आपत्तियों के आमंत्रण व अन्य किसी प्रकार के कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होकर सीधे आवेदको के प्रार्थनापत्र पर चाहे गये भूखण्ड पर श्रेणी के अनुसार विक्रय राशि जमा कर भूखण्ड को विकय किया गया और कब्जा सिपुर्द कर दिया गया। ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विक्रय में विकय दिनांक से 06 माह की अवधि में निर्माण कार्य किए जाने की शर्त तय की गई थी, इस शर्त का केवल मात्र उद्देश्य सुखाडिया नगर को आवासीय उद्देश्य से तत्काल विकसित करना रहा है, जबकि इस प्रकार की शर्त निर्धारित करना पंचायत अधिनियम में नहीं होकर नियमों व प्रावधानों के विपरीत है। विकास अधिकारी ने उक्त सुखाडिया नगर के अन्य भूखण्डों के निरस्ती के विरूद्ध अपील पेश की गयी थी, इस आधार पर खारिज किए गए प्लॉट नं0 24 भूखण्डधारी राधाकिशन महाजन तथा प्लॉट सं0 21 भूखण्डधारी रामनारायण ब्राह्मण व प्लाट सं0 23 रामचन्द्र, हजारी खाती के विक्रय खारिजी आदेश को निरस्त कर पुनः विकय को बहाल किया है। इस आदेश में भी इस प्रकार की पंचायत द्वारा निर्धारित की गई 06 माह में निर्माण कार्य को विधि सम्मत नहीं माना है। गैर निगराकार सं0 3 ने अपने विक्रय दिनांक 27–06–1963 के तत्काल बाद ही कब्जा प्राप्त कर चुने तथा पत्थरों की नींव भरवाकर आवास हेतु निर्माण कार्य कर लिया था और लम्बे समय तक अपना आवास रखा, इसके उपरांत उक्त भूखण्ड में निगराकारान के रिश्तेदार, कारीगर, मजदूर निवासरत रहे। इस प्रकार निगराकार सं0 3 ने विकय की समस्त शर्तों की पालना की, जिसका स्पष्ट प्रमाण है कि गैर निगराकार सं0 3 को ग्राम पंचायत द्वारा कभी भूखण्ड पर कब्जा व निर्माण नहीं किए जाने के आधार पर भूखण्ड को निरस्त किए जाने का सूचनापत्र जारी नहीं किया। क्योंकि गैर निगराकार सं0 3 ने अपना निर्माण कार्य उक्त भूखण्ड पर कर रखा था, जबकि ग्राम पंचायत ने इसी सुखाडिया नगर के प्लॉट नं0 1, 4, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 29 के केतागण को भूखण्ड पर निर्धारित 06 माह की अवधि में निर्माण नहीं किए जाने के कारण भूखण्ड निरस्त किए जाने के सूचनापत्र समय समय पर जारी किए, जबकि गैर निगराकार सं0 3 के प्लॉट सं0 2 व इसी प्रकार प्लॉट सं0 3 व प्लॉट सं0 28 जिस पर आवासीय निर्माण कार्य 06 माह की अवधि में हो चुके थे, के केतागण को कोई प्लॉट निरस्ती के सूचनापत्र जारी नहीं किए गए। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हैं कि लम्बे समय

की कोई क्षति नहीं हुई है। निगराकारान को पारित आदेश की जानकारी विकय की दिनांक से ही थी, क्योंकि निगराकार सं0 1 के दादा पीरबक्ष पिता इलाबक्ष को भूखण्ड सं0 28 का विकय दिनांक 27–08–1963 को इन्हीं नियमों व प्रावधानों के तहत किया गया था तथा निगराकार सं0 2 के पिता मोहनलाल को प्लॉट सं० 25 का विकय दिनांक 21–07–1963 को इन्हीं नियमों व प्रावधानों के तहत किया गया था। इस प्रकार दोनों निगराकारान को तत्कालीन समय से ही उक्त विक्रय आदेशों की जानकारी थी, इस कारण यह कथन सर्वथा गलत हैं कि विक्रय आदेश की जानकारी होते ही यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही हो, बल्कि निगराकारान ने अन्य व्यक्तियों के बहकावें व प्रलोभन में आकर यह आधारहीन व तथ्यहीन निगरानी प्रस्तुत की है. जो काबिल खारिजी को है। केवल मात्र कपोलकल्पित आधारों पर निगराकारान ने यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो विधि व तथ्यों के सर्वथा विपरीत होकर खारिज योग्य है। अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी निगराकारान खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा अपने पत्रांक/224–228 दिनांक 25.06.2020 से उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर को रिपोर्ट प्रेषित की गयी जिसमें पृष्ठ संख्या 2 पर बिन्दु संख्या 02 में अंकित किया हुआ हैं कि, " सुखाडिया नगर कॉलोनी में वर्ष 1963–64 में कुल 25 भूखण्ड विक्रय किये गये थे जिनके क्रमांक 1 से 25 तक थे। प्रार्थी के परिवार के भूखण्ड संख्या 2 पर आवास का निर्माण कर लिया था एवं भूखण्ड संख्या 1 व 4 पर आवास का निर्माण नहीं होने से ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड आवंटन के लगभग 3–4 वर्षों के बाद में उनको निर्माण करवाने हेतु नोटिस जारी किया था भूखण्ड संख्या 2 के लिए नोटिस जारी नही हुआ था क्योंकि भूखण्ड संख्या 2 पर आवास निर्मित हो चुका था।"

इसी प्रकार उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 5 पर बिन्दु संख्या 03 में अंकित किया हुआ हैं कि, 'ग्राम पंचायत ने सुखाडिया नगर में वर्ष 2010, 2014, व 2015 में उक्त भूखण्ड संख्या 2 के पडौस मे पटटे व स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किये हैं जिनके नक्शों के पडौस में भूखण्ड संख्या 2 का मालिक श्री विरेन्द्र सिंह को ही बताया हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अपने रिकार्ड में वर्ष 1963 से लगातार 2015 तक भूखण्ड संख्या

पर श्रेणी के अनुसार विक्रय राशि जमा कर भूखण्ड को विक्रय किया गया और कब्जा सिपुर्द कर दिया गया।

गैर निगराकार संख्या 03 के अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं जवाब में अवगत कराया कि ग्राम पंचायत शक्करगढ द्वारा उक्त आवासीय सुखाडिया नगर कॉलोनी के उक्त प्लान में निगराकार नूरबक्ष के दादा पीरबक्ष पिता इलाबक्ष को प्लॉट नं० 28 25/– रू0 की निर्धारित विक्रय राशि की श्रेणी से दिनांक 27–08–1963 को विक्रय किया गया था। इसी प्रकार निगराकार सं0 2 के पिता मोहनलाल शर्मा को प्लॉट नं० 25 50/–रू0 की निर्धारित विक्रय राशि की श्रेणी से दिनांक 21–07–1963 को विक्रय किया गया था। उक्त दोनों भूखण्ड निगराकारान के नजदीकी रिश्तेदारान पूर्वजों के भूखण्ड है, जो इन्हीं नियमों, प्रावधानों तथा प्रक्रिया के तहत ग्राम पंचायत ने विक्रय किए हैं, जिन नियमों, प्रावधानों व प्रक्रिया के तहत गैर निगराकार सं0 3 को विक्रय हुए है। गैर निगराकार संख्या 03 के इन कथनों पर निगराकार अधिवक्ता ने कोई खण्डन नही किया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 02 को वर्ष 1963 में तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार संख्या 03 को विक्रय किया जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत शक्करगढ पंचायत समिति जहाजपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा